लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल – 462021
दूरभाष 0755–2583650 फैक्स 0755–2583651
ई–मेल **dpimp@sancharnet.in**

//आदेश//

भोपाल, दिनांक...27..09.2008

क्रमांक/स्था–1/राज/पी/269/2008/1317 : लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. द्वारा व्याख्याता संवर्ग से प्राचार्य हाईस्कूल के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 23.03.2007 को सम्पन्न विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में निम्नलिखित व्याख्याताओं की अनुशंसा बंद लिफाफे में रखी गई थी । विभागीय जांच सत्यापित नहीं होने अथवा विभागीय जांच बिना किसी दण्ड के समाप्त होने की स्थिति के सत्यापन उपरांत बंद लिफाफे में रखी गई अनुशंसा अनुसार उक्त व्याख्याताओं को प्राचार्य, हाईस्कूल के पद पर वेतनमान रूपये 6500–200–10500 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया जाता है । पदोन्नति उपरान्त उनकी पदस्थापना उनके नाम के समक्ष दर्शाई संस्था में निम्नानुसार की जाती है:–

क्र.	नाम	वर्तमान पदांकन संस्था का नाम	पदोन्नति उपरांत पदस्थापना
1	2	3	4
1	श्री आर.बी. श्रीवास्तव	शास उत्कृष्ट उमावि बागचीनी मुरैना	शा. हाईस्कूल गलेथा मुरैना
2	श्री आर.एन. लाल	शा. उमावि. नायकपुरा, मुरैना	शा. हाईस्कूल मृगपुरा मुरैना
3	श्री आर.के. श्रीवास्तव	शा. उमावि. बघराजी जबलपुर	शा. हाईस्कूल भूडसा, कटनी
4	श्री संकट मोचन द्विवेदी	शास उत्कृष्ट उमावि देवसर सीधी	प्रभारी प्राचार्य, शा. उत्कृष्ट उमावि. देवसर, सीधी
5	श्री एस.के.दीक्षित व्या.	शास उमावि क्रमांक–1 रीवा	सेवानिवृत्त

2) जिन व्याख्याताओं की पदोन्नति उपरांत पदस्थापना प्राचार्य +2 उमावि. के पद पर की गई है, वे पद विरूद्ध माने जायेंगें ।

3) स.क्र. 1,2,4,5 पर अंकित हाईस्कूल प्राचार्यो की वरिष्ठता आदेश दिनांक 2.4.07 में निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित होगी । उपरोक्त पदोन्नत प्राचार्यो को दिनांक 2.4.07 से "काम नहीं दाम नहीं" के आधार पर नोशनल पे फिक्सेशन कर वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिया जावें ।

27/9/08

4) स.क्र. 3 पर अंकित हाईस्कूल प्राचार्यों की वरिष्ठता आदेश दिनांक 24.12.07 में निर्देशों के अनुक्रम में निर्धारित होगी । उपरोक्त पदोन्नत प्राचार्यो को दिनांक 24.12.07 से "काम नहीं दाम नहीं" के आधार पर नोशनल पे फिक्सेशन कर वास्तविक लाभ कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दिया जावें ।

5) पदोन्नति उपरान्त पदांकन संस्था हेतु भारमुक्त करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावें कि प्राचार्य पद पर जो व्याख्याता पदोन्नत हो रहे हैं , वे उक्त उल्लेखित तिथियों के बाद के न हों या उनके विरूद्ध किसी प्रकार के अपराधिक प्रकरण / जांच / अनुशासनात्मक कार्यवाही न हो या ऐसी शास्ति न हो जो उनकी पदोन्नति में बाधक हो। ऐसी स्थिति पाये जाने पर उन्हें भारमुक्त न किया जाकर संचालनालय को अपने प्रस्ताव सहित अवगत करावें । इस कार्यवाही हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरदायी होंगें ।

6) नवपदोन्नत प्राचार्य दिनांक 15.10.2008 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदभार ग्रहण करेंगें जिसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी संलग्न **प्रपत्र–1** अनुसार संचालनालय को प्रस्तुत करेंगें ।

7) जिन **हाईस्कूलों** में पदांकन किया गया है यदि वह पूर्व से प्राचार्य के रूप में व्याख्याता पदस्थ हैं, वे नवपदोन्नत प्राचार्य के उपस्थित होने पर स्वमेव कार्यमुक्त मानें जावेंगें और वे अपनी उपस्थिति जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में देंगें । जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में पदस्थापना आदेश संलग्न **प्रपत्र–2** अनुसार जारी करेंगें । तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी ऐसे सभी व्याख्याताओं का जिले के उमावि. में रिक्त विषयवार व्याख्याता के पदों पर प्रस्ताव एकल नस्ती में तत्काल तक संचालनालय में प्रस्तुत करेंगें ।

8) *(अ)* पदोन्नत प्राचार्य द्वारा यदि पदोन्नति का परित्याग किया जाता है तो उसे 12 वर्ष बाद प्राप्त वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त होता रहेगा परन्तु 24 वर्ष पश्चात मिलने वाली क्रमोन्नति की सुविधा का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्र. एफ–1–1/1/वेआप्र/99 दिनांक 05 जुलाई 2002 / 23 सितंबर 2002 के प्रकाश में प्राप्त नहीं होगा ।

(ब) पदोन्नति का परित्याग मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम–2002 की कण्डिका 6(15) के अनुक्रम में पदोन्नत लोक सेवक को ऐसे मामलों में प्रथम पदोन्नति से इन्कार करने के दिनांक से 01 वर्ष की कालावधि के लिए या अगली रिक्ति की उद्भूत होने तक जो भी पश्चात्वर्ती हो पदोन्नति के लिए प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।

9) जो व्याख्याता प्राचार्य, हाईस्कूल के पदोन्नति पद पर नहीं जाना चाहते हैं वे व्याख्याता लिखित में 02 प्रतियों में इस आशय की सूचना दिनांक 15.10.2008 तक अपने वर्तमान पदस्थापना वाले जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को देंगें । जिला शिक्षा अधिकारी यह सूचना प्राप्त होने पर संलग्न **प्रपत्र–3** अनुसार संबंधित व्याख्याता को इसकी पावती की सूचना देंगें । पदोन्नति परित्याग सूचना की 01 प्रति संचालनालय को भेजी जायेगी । सेवा पुस्तिका में इसका प्रमाणीकरण भी अंकित किया जायेगा कि संबंधित व्याख्याता ने पदोन्नति का परित्याग किया है । तत्पश्चात जिला शिक्षा अधिकारी एक सप्ताह में ऐसे व्याख्याताओं की सूची संचालनालय को प्रस्तुत करेंगें ।

27/9/08

10) यदि किसी व्याख्याता को पदोन्नति उपरांत पदस्थापना शून्य बजट के हाईस्कूल में की गई और वहां प्राचार्य का पद स्वीकृत नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्याख्याता को जिला शिक्षा अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करायेंगें तथा पदांकन आदेश संशोधन का प्रस्ताव तत्काल एकल नस्ती के माध्यम से संचालनालय को प्रस्तुत करेंगें ।

11) पदोन्नति उपरान्त निर्धारित दिनांक 15.10.2008 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यदि व्याख्याता द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसका पदोन्नति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा । ऐसे व्याख्याताओं को लिखित सूचना जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न **प्रपत्र–4** अनुसार दी जायेगी ।

12) जिन व्याख्याताओं की पदोन्नति की गयी है यदि वे विधि सम्मत स्कूल शिक्षा विभाग का नहीं हैं तो उन्हें कार्यमुक्त न किया जायें और ना ही उसे पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायें । उसकी लिखित सूचना पूर्ण तथ्यों सहित तत्काल संचालनालय को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दी जायेगी । परन्तु यदि स्कूल शिक्षा विभाग एवं आदिवासी विकास विभाग के परस्पर स्थानान्तरित संस्थाओं के लिए म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं. एफ–44–27/94/20–2 दिनांक 03.01.2006 के अन्तर्गत विभाग में मूल वरिष्ठता सहित संविलियत किया गया है और पदोन्नत किया गया है, तो वह पदोन्नति का हकदार होगा तथा उसे कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा ।

13) प्रमाणित किया जाता है कि म0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्र–21 सन् 1994) तथा म.प्र. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के उपबन्धों का और उक्त अधिनियमों तथा नियमों उपबन्धों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये अनुदेशों का पालन किया गया है तथा उसे अधिनियम की धारा (6) की उपधारा (1) के उपबन्धों का पूर्ण संज्ञान है ।

14) म0प्र0 लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के अधीन सुविधा सुनिश्चित करने हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की प्रविष्टियां रोस्टर पंजी में कर दी गई है ।

(बी.आर. नायडू) 27/9/08
आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश

पृ. कमांक/स्था–1/राज/पी/269/2008/1320 भोपाल, दिनांक 27.09.2008
प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी/राज्य मंत्री जी, स्कूल शिक्षा म.प्र. शासन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
3. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर,
4. कलेक्टर जिला .... म.प्र.
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत .... म.प्र.
6. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला .... म.प्र.
7. कोषालय अधिकारी जिला .... म.प्र.

8. संबंधित – प्राचार्य,
9. संबंधितजन –

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

आयुक्त लोक शिक्षण
मध्य प्रदेश